B.A.Part 3

Home science

Topic : Different types of marriage

विवाह का शाब्दिक अर्थ है, 'उद्वह' अर्थात् 'वधू को वर के घर ले जाना।' विवाह को परिभाषित करते हुए लूसी मेयर लिखते हैं, विवाह की परिभाषा यह है कि वह स्त्री-पुरुष का ऐसा योग है, जिससे स्त्री से जन्मा बच्चा माता-पिता की वैधा सन्तान माना जाय। इस परिभाषा में विवाह को स्त्री व पुरुष के ऐसे सम्बन्धों के रूप में स्वीकार किया गया है जो सन्तानों को जन्म देते हैं, उन्हें वैधा घोषित करते हैं। तथा इसके फलस्वरूप माता-पिता एवं बच्चों को समाज में कुछ अधिकार एवं प्रस्थितियाँ प्राप्त होती हैं।

डब्ल्यू. एच. आर. रिवर्स के अनुसार, जिन साधनों द्वारा मानव समाज यौन सम्बन्धों का नियमन करता है, उन्हें विवाह की संज्ञा दी जा सकती है।

वेस्टरमार्वफ के अनुसार, विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला वह सम्बन्ध है, जिसे प्रथा या कानून स्वीकार करता है और जिसमें इस संगठन में आने वाले दोनों पक्षों एवं उनसे उत्पन्न बच्चों के अधिकार एवं कर्तव्यों का समावेश होता है। वेस्टरमार्वफ ने विवाह बन्धन में एक समय में एकाधिक स्त्री पुरुषों के सम्बन्धों को स्वीकार किया है जिन्हें प्रथा एवं कानून की मान्यता प्राप्त होती है। पति-पत्नी और उनसे उत्पन्न सन्तानों को कुछ अधिकार और दायित्व प्राप्त होते हैं।

बोगार्डस के अनुसार, विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था है। मजूमदार एवं मदान

लिखते हैं, विवाह में कानूनी या धार्मिक आयोजन के रूप में उन सामाजिक स्वीकृतियों का समावेश होता है जो विषमलिंगियों को यौन-क्रिया और उससे सम्बिन्धात सामाजिक-आर्थिक सम्बन्धों में सम्मिलित होने का अधिकार प्रदान करती है।

जॉनसन ने लिखा है, विवाह के सम्बन्ध में अनिवार्य बात यह है कि यह एक स्थायी सम्बन्ध है। जिसमें एक पुरुष और एक स्त्री, समुदाय में अपनी प्रतिष्ठा को खोये बिना सन्तान उत्पन्न करने की सामाजिक स्वीकृति प्रदान करते हैं।

हॉबल के अनुसार, विवाह सामाजिक आदर्श-मानदण्डों (Social Norms) की वह समग्रता है जो विवाहित व्यक्तियों के आपसी सम्बन्धों को, उनके रक्त-सम्बन्धियों, सन्तानों तथा समाज के साथ सम्बन्धों को परिभाषित और नियन्त्रित करती है।

हेरी.एम. जॉनसन : यह एक स्थिर सम्बन्ध है जिसकी अनुमति, समुदाय के मध्य अपनी स्थिति को खोये बिना, पुरुष तथा स्त्री को समाज प्रदान करता है। इस तरह के स्थिर सम्बन्ध की दो और शर्तें है : यौन संतुष्टि तथा बच्चों का प्रजजन।

जी.पी. मुरडॉक : एक साथ रहते हुए नियमित यौन सम्बन्ध और आर्थिक सहयोग रखने को विवाह कहते हैं। इस तरह विवाह के मूलभूत तत्व है : स्त्री तथा पुरुष के बीच में समाज द्वारा अनुमोदित पति-पत्नी के रूप में नियमित यौन सम्बन्ध, उनका एक साथ रहना, बच्चों का प्रजनन, और आर्थिक सहयोग।

बोगारडस : विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की एक संस्था है। वास्तव में विवाह की परिभाषा समाज के संदर्भ में की जाती है। उदाहरण के लिए यूरोप और अमेरिका के समाजों में विवाह को सापेक्षिक रूप में कम स्थायी समझते हैं। इन समाजों में विवाह करना आवश्यक हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। जैसा कि हमने इस अध्याय के प्रारंभ में कहा समाज में विवाह नहीं करना अपवाद समझा जाता है। भारत और इसके आसपास के देशों में विवाह लगभग स्थायी होता है। यह तो पिछले जन्म में ही तय हो जाता है। कापड़ियां ने हिन्दु विवाह को दो टूक शब्दों में पारिभाषित किया है: हिन्दू विवाह एक संस्कार है, धार्मिक कृत्य है।

विवाह के परिणामस्वरूप माता-पिता एवं बच्चों के बीच कई अधिकारों एवं दायित्वों का जन्म होता है।

लव मैरिज

फायदा

- प्रेमी जोड़े को अपने जीवन साथी का चयन करने के लिए पूरी स्वतंत्रता होती है।
- प्रेम विवाह का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते है।
- एक-दूसरे के लिए आपसी सम्मान है, क्योंकि वे पहले से ही एक-दूसरे को जानते हैं।
- प्रेम विवाह दोनों के प्यार पर आधारित रहता है और यदि यह टूटने की संभावना होती है तो ये जोड़ा अपनी एकजुटता से रिश्ता बचा सकता है।
- प्रेमी जोड़े अपनी मर्जी से जो निर्णय लेना चाहते है वो ले सकते है, क्योंकि उनके पेरेंट्स का उनकी लाइफ में कोई हस्तक्षेप नहीं होता है।
- प्रेम विवाह को बढ़ावा देने पर हमारे देश मैं जाति प्रथा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी और सभी लोग एक दूसरे को सामान रूप से देखेंगे।
- प्रेम विवाह करने वाले जोड़े पहले से एक दूसरे को जानते है, तो एक दूसरे के साथ रहने में ज्यादा परेशानी नहीं आती वो हँसते खेलते अपना जीवन यापन करते है।
- देखा जाये तो घरेलू हिंसा का शिकार प्रेम-विवाह में अक्सर ऐसा देखा गया है कि लड़की को घरेलु हिंसा का सामना नहीं करना पड़ता।
- जोड़ी को एक दूसरे की पसंद और नापसंद के बारे में पता रहता है। इसलिए वे अच्छी तरह से लाइफ स्पेंड करते है।
- दोनों व्यक्तियों को पहले से ही पता रहता है की एक दूसरे के साथ पूरी जिंदगी बिताने का फैसला उनका ही है। इसके लिए वो किसी ओर पर दोषारोपण नहीं क

नुकसान

- इस तरह की शादी को परिवार और रिश्तेदारों से समर्थन कम मिलता है।
- कभी-कभी प्यार से मन भर जाता है और शायद जोड़े एक दूसरे के थक जाते हैं तो शादी टूटने का खतरा रहता है।
- प्रेम विवाह के लिए अधिकतर समय माता-पिता की सहमति नही रहती है और नए जोड़े को अपने परिवार से अलग रहना पड़ सकता है।
- प्रेम विवाह करने से आपके माता-पिता आपसे बात तक करना बंद कर सकते है।
- प्रेम विवाह से लड़का और लड़की एकेले पड़ जाते है क्योंकि उन्हें बड़ो का आशीर्वाद नहीं मिल पता है।
- दोनों एक दूसरे के समान्तर होते है और जिस वजह से उन दोनों के बिच ईगो टकराने लगता है।
- शादी के बाद कुछ समय तक तो ठीक लगता है, लेकिन कुछ समय के बाद प्रेमी जोड़े को अपने परिवार की जरुरत महसूस होने लगती है।

- प्रेम विवाह का बड़ा सच ये है की अगर प्यार सच्चा है तो वह ठीक हैं, लेकिन जब प्यार सच्चा नहीं है तो नुकसान में बदल जाता है।
- फाइनेंसियल समस्याओं के चलते टकराव हो जाता है और परिवार के समर्थन की कमी की वजह से जोड़ों के बीच रिश्ते तनावपूर्ण हो जाते हैं और एक दूसरे के लिए नफरत हो सकती है

अरेंज मैरिज:

अरेंज मैरेज यानी भारतीय संस्कृति से किया गया विवाह इसमें आपके जीवन भर की बागडोर आपके परिवार के हाथ में सौंप दी जाती है आपके जीवन साथी का चुनाव परिवार वाले ही करते हैं वह अपनी हैसियत समाज और स्वभाव के अनुसार ही आपका रिश्ता तय किया जाता है आपकी शादी महज दो दिलों का मिलन ना होकर पूरे परिवार के लिए जश्न का माहौल बन जाती है।

फ़ायदा

पारिवारिक संबंधों को मजबूत बनाने में यह अहम् योगदान रखती है।जहा वधू पक्ष अपनी कन्या के लिए योग्य वर तलाशते है वही लड़की वाले अपने लिए एक सुशील और संस्कारी वधू की तलाश करते हैं। पूरे रीति-रिवाजों के साथ इस परिणय सूत्र को बांधा जाता है। शुरू में 1 या 2 साल से एक दूसरे को समझने में ही निकल जाता है कई लोग अरेंज मैरिज को ही सही मानते हैं परंतु एक सिक्के के दो पहलू भी होते हैं आइए जानते हैं इसकी दूसरे पहलू के बारे में जानते है।

नुकसान

• दहेज जैसी कुरीतियों को आशय मिलता है

• वर वधू को गुणों से नहीं बल्कि हैसियत से तोला जाता है।

• आपसी सामंजस्य बैठा ने में काफी समय लग जाता है।

- घरेलू हिंसा।